# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

**सरफेसी वाद सं0–52/2018–19**

**Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro**

**बनाम्**

**M/s Central Furniture Industries**

**–: आदेश :–**

**16.12.2020**

प्राधिकृत पदाधिकारी, Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro के द्वारा धारा–14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Central Furniture Industries प्रो0 श्री ललित कुमार शर्मा एवं अन्य, सा0–बिहार कॉलोनी, मेन रोड, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro की ओर से प्रबंधक के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All that part & parcel of Plot no. 7704, Khata no. 696, Mouza Chas Bihar colony Chas admeasuring area 270 sq.ft. via sale Deed No. 3493 dated 11.09.1996, owned by Shiva Brata Sharma.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 3,50,000.00 (तीन लाख पच्चास हजार) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद् भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Syndicate Bank, Chas Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16.12.2020
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

16.12.2020
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।